न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2022

प्रविष्टि दिनांकः– 07.12.2022

1. नन्दू उर्फ मंजू बाई पुत्री उगमीचन्द जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा) तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. सन्तोष उर्फ संतोक पुत्री उगमीचन्द जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा) तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. भूला देवी पुत्री उगमीचन्द जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा) तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. सीमा देवी पुत्री उगमीचन्द जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा) तहसील देवली जिला टोंक राज.

...........निगरानीकर्तागण

बनाम

1. नन्दकिशोर सुवालका पुत्र श्री नानुराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा द्वितीय) ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टोंक जरिये सरपंच एवं सचिव

....................विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 06.12.2021 ग्राम पंचायत मालेडा बाबत पट्टा संख्या 102 बुक नं. 18 प्रशासन गावों के संग अभियान वर्ष 2021

उपस्थितः (1) श्री शिवराज टांडी, अभिभाषक निगरानीकर्ता

(2) श्री विवेक चौधरी, अभिभाषक विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक 25.4.25

संक्षिप्त में निगरानी का सार इस प्रकार है कि गाम पचांयत मालेडा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 में अपने आदेश दिनाक 06.12.2021 को प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा बुक नं. 18 पटटा संख्या 102 आवासीय भूमि का पटटा नन्दकिशोर सुवालका पुत्र श्री नानुराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहारों का झोपडा (मालेडा द्वितीय) ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टोंक (राज०) के पक्ष में 23 X 117 कुल क्षेत्रफल 291 वर्गफिट जिसके 299 वर्गगज होते है, की भूमि का खसरा नम्बर 1902/692 में से जारी किया गया है तथा जिसका पंजीयन दिनाक 15.03.2022 को उप पंजीयक नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक के यहां करवाया गया। उक्त पटटा विलेख आदेश दिनाक 06.12.2021 विधि विरूद्ध बताते हुए निरस्त करवाने हेतु निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में अंकित किया कि ग्राम पंचायत मालेडा द्वारा जिस भूमि का पटटा विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी किया गया है उस भूमि में निगरानीकर्तागण के पिता श्री उगमीचन्द पुत्र श्री मोहनलाल कलाल निवासी गाम कहारों का झोपडा मालेडा का मकान बना हुआ है। इस मकान में निगरानीकर्तागण के पिता उगमीचन्द अपने जीवन काल तक अपनी पत्नि व परिवार सहित निवास करते रहे है। निगरानीकर्तागण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात निगरानीकर्तागण की माता श्रीमति दाखी देवी निवास करती रही है। उक्त मकान कच्चा होने से भारत सरकार की आवासीय योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत श्रीमति दाखी देवी के नाम आवास स्वीकृत हुआ है जिसकी समस्त जानकारी गाम पंचायत मालेडा को है।

उपरोक्त आवासीय भूमि कहारों का झोपडा ग्राम पंचायत मालेडा की आबादी भूमि में स्थित है तथा ग्राम पंचायत मालेडा ने प्रशासन गांवों के सग अभियान 2021 के द्वारा उपरोक्त पटटा संख्या 102 जो जारी किया गया उसकी सम्पूर्ण कार्यवाही दिनाक 06.12.2021 को की गई। मौके पर जाकर किसी प्रकार की कोई नाप चोप व सीमाओं की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ग्राम पचांयत अथवा उसके पदाधिकारियों अथवा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नहीं की गई और सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय में बैठकर मिली भगत करते हुए पटटा जारी किया गया है। निगरानीकर्तागण की माता को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास स्वीकृत होने की सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत को थी क्योंकि आवास भी ग्राम पंचायत के माध्यम से ही उसकी अनुशंषा पर ही स्वीकृत होता है और माता श्रीमति दाखी देवी ने आवास स्वीकृति के पश्चात मकान का निर्माण भी मोके पर करवाया है, निगरानीकर्तागण की माता अपने जीवन काल तक इसी मकान में निवास करती रही है, दाखी देवी का स्वर्गवास दिनांक 17.8.2022 हो चुका है। जिसका समस्त क्रियाकर्म भी इसी भूमि में बने हुए मकान में निगरानीकर्तागण द्वारा किया गया है। इस प्रकार विपक्षी ने ग्राम पंचायत मालेडा के सरंपच एवं ग्राम विकास अधिकारी से आपस में साज करके निगरानीकर्तागण के पुश्तैनी पेतृक मकान का फर्जी तरीके पट्टा जारी करवाया है जो वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पटटा जारी करने से पूर्व न तो पडौसियों से कोई पूछताछ की गई और न ही पडोसियों के कोई बयान आदि लेखबद्ध किये और पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौका देखा गया और बिना मोके पर जानकारी लिये ही उक्त पटटा जारी किया गया है जो वास्तविक वस्तु स्थिति के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।निगरानीकर्तागण ने उक्त फर्जी, बनावटी पटटे के सम्बन्ध में सरंपच/गाम विकास अधिकारी मालेडा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली, थानाधिकारी थाना नासिरदा को भी इस सम्बन्ध में शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है। गाम पंचायत द्वारा जो पटटा जारी किया गया है उसके प्रोफार्मा में पटटा संख्या 33 अंकित हो रखा है उसको काट करके पेन से 102 पटटा संख्या अंकित गया है जिससे भी यह स्पष्ट है कि यदि वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से पटटा जारी किया जाता तो प्रोफार्मा में अंकित पटटा संख्या 33 को क्यों काटा गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा फर्जी तरीके से आपस में मिली भगत व विपक्षी से साजिश करके जारी किया गया है। निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टे की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। विपक्षी मोके पर आकर आये दिन ऐलानिया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

धमकी देने लगा कि इस भूमि का पटटा तो उसके पक्ष में पंचायत द्वारा किया गया है और वह आये दिन निगरानीकर्तागण को परेशान करने लगा, जिस पर निगरानीकर्तागण ने जानकारी करके दिनांक 21.11.2022 उप पंजीयक नासिरदा के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर पंजीकृत पटटे व ग्राम पंचायत के पटटे की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके यह निगरानी बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। निगरानी पेश करने मे फिर भी यदि कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 लि० एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गाम पचांयत मालेडा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 में अपने आदेश दिनांक 06.12.2021 के द्वारा बुक 18 नं. पटटा 102 आवासीय भूमि का पटटा बहक नन्दकिशोर सुवालका पुत्र नानूराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहारों का झोपडा मालेडा तहसील देवली 23 x 117 कुल क्षेत्रफल 2691 वर्गफिट जिसके 299 वर्गगज होते है, की भूमि का खसरा नम्बर 1902/692 में से जारी किया गया है तथा जिसका पंजीयन दिनांक 15.03.2022 को उपपंजीयक नासिरदा के यहां पंजीयन करवाया गया है, का निरस्तीकरण का नोट लगाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जाये।

अभिभाषक विपक्षीगण ने लिखित बहस पेशी की एवं अंकित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा सही एवं विधिसम्मत है। ग्राम पचांयत मालेडा द्वारा अपने आदेश दिनाक 06.12.2021 को उसके प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा बुक नं. 18 पटटा संख्या 102 आवासीय भूमि का पटटा नन्दकिशोर सुवालका पुत्र श्री नानुराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहारों का झोपडा (मालेडा द्वितीय) ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टॉक (राज०) के पक्ष में 23 X 117 कुल क्षेत्रफल 291 वर्गफिट जिसके 299 वर्गगज होते है, की भूमि का खसरा नम्बर 1902/692 में से जारी किया गया है उसका पंजीयन दिनाक 15.03.2022 को उप पंजीयक नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक के यहां पंजीयन हो चुका है। एवं पंजीकृत पट्टे को जिला कलेक्टर या किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपनी पुनरीक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसे अकृत नहीं किया जा सकता है। पंजीकृत पट्टे को केवल वाद में ही प्रश्नगत किया जा सकता है या दीवानी न्यायालय द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया अपनायी गयी है। पडोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये गये है एवं मौका देखा गया है। निगरानीकर्ता की माता दाखी देवी के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण नन्दकिशोर पुत्र नानू राम जी सुवालका के पास रहती थी और उसका भरण पोषण व लालन पालन भी नन्दकिशोर पुत्र नानू राम जी सुवालका ही करता था। उक्त पट्टा दिनांक 06.12.2021 को जारी किया गया है एवं निगरानीकर्ता की माता दाखी देवी का देहान्त दिनांक 17.08.2022 को हुआ है परन्तु दांखा देवी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी पट्टे को चुनौति नहीं दी गयी है। पट्टा सही तरीके से एवं विधिसम्मत जारी हुआ हैं अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस को पढा एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पनवाड़ की पट्टा सं. 102 की पत्रावली व अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि गाम पचांयत मालेडा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 में अपने आदेश दिनाक 06.12.2021 को उसके प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा बुक नं. 18 पटटा संख्या 102 आवासीय भूमि का पटटा नन्दकिशोर सुवालका पुत्र श्री नानुराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहारों का झोपडा (मालेडा द्वितीय) ग्राम पंचायत मालेडा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तहसील देवली जिला टॉक (राज०) के पक्ष में 23 X 117 कुल क्षेत्रफल 291 वर्गफिट जिसके 299 वर्गगज होते है, की भूमि का खसरा नम्बर 1902/692 में से जारी किया गया है तथा जिसका पंजीयन दिनाक 15.03.2022 को उप पंजीयक नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक के यहां करवाया गया। पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि उक्त मकान का पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता की माता दाखी देवी पत्नि उगमी चन्द ने नॉननिगरानीकर्ता नन्दकिशोर को पट्टा जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होने का सहमति पत्र (शपथ पत्र) पेश किया था जिस पर दाखी देवी के अंगूठा निशानी एवं गवाहान के हस्ताक्षर है जो कि पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता हैं कि पट्टा जारी किये जाने में निगरानीकर्ता की माता दाखी देवी को कोई आपत्ति नहीं थी। साथ ही पट्टा पत्रावली में समस्त पंचगण, कहारो का झोपडा मालेडा तहसील देवली द्वारा लिखा हुआ पंचनामा दिनांक 09.11.2021 भी संलग्न हैं जिसमें अंकित हैं कि "श्रीमति दाखी देवी के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण नन्दकिशोर पुत्र नानू राम जी सुवालका के पास रहती है और उसका भरण पोषण व लालन पालन भी नन्दकिशोर पुत्र नानू राम जी सुवालका ही करता है।" इस प्रकार पंचनामे से स्पष्ट हैं कि उक्त मकान पर विपक्षी नन्दकिशोर अपनी चाची के साथ रहता था। पट्टा जारी करने से पूर्व पडोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये गये है एवं मौका देखा गया है। पट्टा जारी करने में समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। उक्त पट्टा दिनांक 06.12.2021 को जारी किया गया है एवं निगरानीकर्ता की माता दाखी देवी का देहान्त दिनांक 17.08.2022 को हुआ है परन्तु दाखी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी पट्टे को चुनौति नहीं दी गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा भी दाखी देवी के जीवित रहते हुए कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत एवं दस्तावेजात पेश नहीं किया हैं जिससे जारी पट्टा विधिविरूद्ध माना जावें। ग्राम पंचायत मालेडा द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा विपक्षी को जारी किया गया था परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में लगभग एक वर्ष पश्चात् पेश किया गया है एवं इस देरी के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में बताए गए कारण निराधार है। ऐसी स्थिति में हम ग्राम पचांयत मालेडा द्वारा आदेश दिनाक 06.12.2021 से नन्दकिशोर सुवालका पुत्र श्री नानुराम सुवालका जाति कलाल के पक्ष में खसरा नम्बर 1902/692 में से 23 X 117 कुल क्षेत्रफल 291 वर्गफिट के जारी किए गए पट्टे को निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाती है एवं ग्राम पचांयत मालेडा, तहसील देवली द्वारा आदेश दिनाक 06.12.2021 से विपक्षी नन्दकिशोर सुवालका पुत्र नानुराम सुवालका जाति कलाल निवासी कहरों का झोपडा (मालेडा द्वितीय) ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली जिला टोंक के पक्ष में जारी खसरा नम्बर 1902/692 वाके ग्राम कहारो का झोपडा ग्राम पंचायत मालेडा तहसील देवली में से 23 X 117 कुल क्षेत्रफल 291 वर्गफिट के पट्टे को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक